न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2024/252
मुकदमा नम्बर 99/2024 दर्ज दिनांक– 13.06.2024

धोलाराम पुत्र श्री हनुमान जाति जाट निवासी मुकुन्दगढ ,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री राजेन्द्र कुमार बेरवाल
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 28.02.2025**

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ में भूमि खाता सं. नया 96 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 210 रकबा 2.51 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पोलाराम पुत्र हनुमान की जगह प्रार्थी का वास्तविक व सही ना धोलाराम पुत्र हनुमान दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक की जारी की गई। अनावेदक की और से पैरो. राज. उपस्थित । तहसीलदार नवलगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट क्रमांक भू.अ. /24/2374 दिनांक 11.07.2024 पेश हुई जिसके अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार कर रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। बहस वकील आवेदक द्वारा पेश करने पर बगौर सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से आवेदक का प्रा. पत्र बाबत् दुरूस्ती साबित है। जिसके अनुसार रिकार्ड दुरूस्त किया जाना उचित जाहिर होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मुकुन्दगढ पटवार हल्का मुकुन्दगढ में भूमि खाता सं. नया 96 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 210 रकबा 2.51 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम पोलाराम पुत्र हनुमान की जगह प्रार्थी का वास्तविक व सही ना धोलाराम पुत्र हनुमान दर्ज व दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 28.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू